

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 40/2024
अनवान : -

1. रामकुमार पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
-प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :-श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 22/10/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 406/384 की कुल 0.6801 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल अपने गांव से गोगामेड़ी में जाने वाले रास्ता से चलकर अपने स्वयं के खेत प0न0 380/455 मु0न0 195 के किला न0 8 में अपनी ढाणी से 123 फुट दूर पश्चिमी से पूर्व की तरफ 0.039 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता की सुविधा उपलब्ध हो सके। सायल हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन करता आ रहा है। इसके सिवास अन्य कोई आवागमन हेतु रास्ता नहीं है। सायल द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए सायल उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 406/384 की कुल 0.6801 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि प्राथी अपनी स्वयं की खातेदारी में स्वयं के खेत प0न0 380/455 मु0न0 195 के किला न0 8 में अपनी ढाणी से 123 फुट दूर पश्चिमी से पूर्व की तरफ 0.039 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की गई है के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य है।

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 406/384 के प0न0 380/455 के मु0न0 195 के किला न0 8 की 0.2530 हैक्ट भूमि के उत्तरी साईड में पश्चिम से पूर्व की तरफ 0.039 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/10/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2024/1072

दिनांक:- 24/10/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0-40/2024 निर्णय दिनांक. 22/10/24 ।

प्रकरण संख्या - 40/2024

अनवान : -


1. रामकुमार पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

-प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 40/2024 अनवान रामकुमार बनाम सरकार में निर्णय दिनांक. 22/10/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 406/384 के प0न0 380/455 के मु0न0 195 के किला न0 8 की 0.2530 हैक्ट भूमि के उत्तरी साईड में पश्चिम से पूर्व की तरफ 0.039 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर